Sessions Case No.-267/2024
State Government Vs. Sravan Kumar Date of Decision-06.06.2026

UPSB010016472024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ0टी0सी0) (सी0ए0डब्ल्यू0), सोनभद्र

पीठासीन अधिकारी—**विपिन कुमार—III** (उच्चतर न्यायिक सेवा) I.D. No.-UP-6486

सेशन केस संख्या—267/2024

राज्य

बनाम

सरवन कुमार पुत्र लालकेश्वर, उम्र 30 वर्ष, निवासी झारो कला, थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र

मुकदमा अपराध संख्या—**20/2024**
धारा—**363, 366** भारतीय दण्ड संहिता
थाना—**दुद्धी,** जनपद सोनभद्र

—:निर्णय:—

1. अभियुक्त सरवन कुमार को थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र द्वारा प्रेषित पुलिस रिपोर्ट अपराध संख्या—20/2024, अंतर्गत धारा—363, 366 भारतीय दण्ड संहिता विचारित किया गया। उपरोक्त प्रकरण दिनांक 20.03.2024 को सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र को मामला सुपुर्द किए जाने के उपरान्त इस न्यायालय को अन्तरण से प्राप्त हुआ।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार से है कि वादी मुकदमा शिवनरायण पुत्र भोला, निवासी ग्राम झारोकला, थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र, द्वारा लिखित तहरीर थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र में दिनांक 29.01.2024 को इस कथन के साथ दी गई कि उसकी पुत्री प्रियंका उम्र करीब 15 वर्ष को उसका पटीदार श्रवण कुमार पुत्र लालकेश्वर, ग्राम झारोकला, थाना दुद्धी, सोनभद्र दिनांक 23.01.2024 को रात्रि में समय करीब 02 बजे उसके घर झारोकला से बहला—फुसलाकर भगा ले गया है। पूर्व में भी उसकी लड़की को श्रवण कुमार भगाकर ले गया था, जिसमें उसके द्वारा पंचायत के माध्यम सुलह—समझौता कर लिया गया था, किन्तु पुनः श्रवण कुमार उसकी पुत्री को भगा ले गया है, जिसकी वह काफी खोजबीन किया, किन्तु अब तक कुछ पता नहीं चल सका।

3. वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र में दिनांक 29.01.2024 को समय 07.30 बजे मुकदमा अपराध संख्या—20/2024, अन्तर्गत धारा—363, 366 भारतीय दण्ड संहिता अभियुक्त सरवन कुमार के विरुद्ध पंजीकृत हुआ, जिसका इन्द्राज कायमी मुकदमा जीडी संख्या—12 समय 07.30 दिनांक 29.01.2024 में किया गया।

4. मामले में विवेचक नियुक्त हुए। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया गया। वादी का बयान अन्तर्गत धारा—161 दण्ड प्रकिया संहिता अंकित किया गया। अभियुक्त सरवन कुमार को गिरफ्तार करने के उपरान्त उसका बयान अंकित किया गया। अपहृता को बरामद करने के उपरान्त महिला

Digitally signed by VIPIN KUMAR
Date: 2026.06.06 13:12:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sonbhadra

आरक्षी द्वारा अपहृता का बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। अपहृता का चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया गया तथा प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय कन्हैया घुटरा, झारोकला, थाना दुद्धी, जिला सोनभद्र द्वारा अपहृता की जन्मतिथि के बावत जारी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। अपहृता को न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर उसका बयान अन्तर्गत धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित कराया गया। दौरान विवेचना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त सरवन कुमार के विरुद्ध धारा–363, 366 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

5. अभियुक्त सरवन कुमार को आहूत किया गया। वह उपस्थित अदालत आया। तत्कालीन माननीय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र द्वारा दिनांक 29.08.2024 को अभियुक्त सरवन कुमार के विरुद्ध धारा–363, 366 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध पाते हुए उक्त धाराओं में आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

6. अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया हैः–

पीडब्ल्यू–1	शिवनरायण	वादी मुकदमा
पीडब्ल्यू–2	रामचरन यादव	औपचारिक साक्षी
पीडब्ल्यू–3	अपहृता	साक्षी
पीडब्ल्यू–4	डॉक्टर स्मिता सिंह	औपचारिक साक्षी
पीडब्ल्यू–5	प्रभारी निरीक्षक तेजबहादुर राय	साक्षी / विवेचक
पीडब्ल्यू–6	प्रधानाध्यापक गुफरान कुरैशी	औपचारिक साक्षी

7. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में लिखित तहरीर वादी मुकदमा प्रदर्श क–1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2, कायमी मुकदमा जीडी प्रदर्श क–3, अपहृता का बयान अन्तर्गत धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श क–4, अपहृता का चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–5, नक्शा नजरी घटनास्थल प्रदर्श क–6, फर्द बरामदगी पीड़िता प्रदर्श क–7, आरोप पत्र प्रदर्श क–8, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय कन्हैया घुटरा, झारोकला, सोनभद्र द्वारा जारी अपहृता का जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्रदर्श क–9 तथा प्रवेश पंजिका की प्रमाणित प्रति प्रदर्श क–10 प्रस्तुत कर साबित कराया गया है।

8. अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। अभियुक्त सरवन कुमार ने अभियोजन कथानक को **झूठा** बताया। पीडब्ल्यू–1 लगायत 3 के बयानों को **गलत** बताया। पीडब्ल्यू–4 के बयान के बारे में **कुछ नहीं कहने** का कथन किया। पीडब्ल्यू–5 के बयान कहा कि **गलत विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए हैं।** पीडब्ल्यू–6 के बयान को **गलत** कहा। मुकदमा **झूठा साजिशी** चलना बताया। सफाई साक्ष्य देने से

इन्कार करते हुए कथन किया कि **पट्टीदार का झगड़ा है, रंजिशन है। वह निर्दोश है। साजिशी तथ्य हैं।**

9. पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं किया गया और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किया गया है।

10. मेरे द्वारा विद्वान लोक अभियोजक तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तर्कपूर्ण बहस को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक तथा प्रलेखीय साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया।

11. प्रस्तुत प्रकरण में इस तथ्य का विनिश्चय किया जाना है कि क्या दिनांक 23.01.2024 को 02:00 बजे रात्रि में अभियुक्त सरवन कुमार द्वारा वादी मुकदमा की 15 वर्षीय अवयस्क पुत्री को बहला–फुसलाकर उसके पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता से यह सम्भाव्य जानते हुये व्यपहरण किया गया कि वह उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिये उसे विवश करेगा अथवा अयुक्त सम्भोग करने के लिये उसे विवश या विलुब्ध करेगा?

12. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त सरवन कुमार के विरुद्ध धारा–363, 366 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया है।

13. धारा–363 भारतीय दण्ड संहिता में यह अवधारित किया गया है किः–

> **1. व्यपहरण के लिये दण्ड—**जो कोई, भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

14. धारा–366 भारतीय दण्ड संहिता में यह अवधारित किया गया है कि–

> **2. विवाह आदि के करने को विवश करने के लिये किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना—**जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिये उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जायेगी, यह सम्भाव्य जानते हुये अथवा अयुक्त संभोग करने के लिये उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिये या वह स्त्री अयुक्त सम्भोग करने के लिये विवश या विलुब्ध की जायेगी, यह सम्भाव्य जानते हुये करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिये विवश या विलुब्ध करने के आशय से या यह विवश या विलुब्ध की जायेगी, यह सम्भाव्य जानते हुये इस संहिता में यथा परिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जायेगा।

15. अभियोजन पक्ष की ओर से उपलब्ध कराये गये अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का विश्लेषण तथा उसका मूल्यांकन करने के क्रम में यह उचित प्रतीत होता है कि

अभियोजन साक्षीगण के मौखिक साक्ष्य के प्रासंगिक अशों एवं उसका सार निर्णय में लेखबद्ध किया जाये।

16. पीडब्ल्यू–1 वादी मुकदमा शिवनरायण ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना लगभग 16–17 महीने की है। उसकी नाबालिग पुत्री प्रियंका की उम्र लगभग 16 वर्ष को उसके गांव का ही श्रवण पुत्र लालकेश्वर रात्रि करीब 2 बजे उसके घर से बहला–फुसलाकर भगा ले गया था। वे लोग काफी तलाश किए लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके पहले भी श्रवण कुमार उसकी पुत्री को भगा ले गया था, जिसके बाबत गांव–घर में पंचायत हुआ और उन लोगों के बीच सुलह समझौता हो गया था। उसकी पुत्री को दोबारा श्रवण कुमार भगाकर ले गया। काफी तलाश किए लेकिन पुत्री के विषय में कोई जानकारी नहीं मिली। तब वह 5 या 6 दिन बाद एक तहरीर लिखवाकर पढ़कर अपना हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दिया था, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या 3अ/8 है, जिसपर उसका हस्ताक्षर है, जिसकी वह पहचान करता है, जिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया है। मुकदमा लिखाने के दूसरे दिन उसकी पुत्री श्रवण कुमार के साथ राजगढ़ तिराहे से पुलिस द्वारा बरामद की गई थी, जिसके बाबत लिखा–पढ़ी हुई थी, जिसपर उसने भी अपना हस्ताक्षर बनाया था। उसकी पुत्री की जन्मतिथि वर्ष 2009 है, विवेचक ने उसका बयान लिया था।

17. पीडब्ल्यू–2 हे0मु0 रामचरन यादव ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह दिनांक 29.01.2025 को थाना कोतवाली दुद्धी में हे0मु0 के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर उसने मु0अ0सं0 20/2024, धारा–363, 366 आईपीसी, बनाम अभियुक्त श्रवण कुमार पुत्र लालकेश्वर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट कम्प्यूटर ऑपरेटर को बोल–बोलकर अक्षरशः अंकित कराया था, जो शामिल पत्रावली कां0सं0 3अ/5 लगायत 3अ/7 है, जिसकी वह पहचान करता है, जिसपर प्रदर्श क–2 डाला गया। कायमी मुकदमा का इन्द्राज जीडी में रपट संख्या 12, दिनांक 29.01.2024 को समय 07:30 बजे उसके द्वारा कम्प्यूटर पर किया गया है, जिसकी प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली कागज संख्या 3अ/9 है, जिसकी वह पहचान करता है, जिसपर प्रदर्श क–3 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

18. पीडब्ल्यू–3 पीड़िता ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना लगभग 20–21 महीने की है। रात्रि लगभग दो बज रहा था। सरवन उसका पड़ोसी है। उस दिन वह उसे शादी करने को कहकर बहला–फुसलाकर भगा ले गया और उसे बिहार ले गया था। उसके पिता जी ने घटना के बारे में थाने पर मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद पुलिस के डर से वह उसे लेकर घर आ रहा था तभी रजखड़ तिराहे पर एक सप्ताह बाद पुलिस ने उन लोगों को एक साथ पकड़ घर ले गए। वह कक्षा 8 तक पढ़ी है। उसकी जन्मतिथि 2009 है। महिला पुलिस ने उसका बयान लिया था।क उसका डॉक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल दुद्धी में हुआ था। मजिस्ट्रेट साहब के यहां उसका बयान हुआ था। आज न्यायालय के आदेशानुसार धारा 164 सीआरपीसी का बयान लिफाफा खोला गया, जिसमें कुल तीन कागजात संलग्न हैं। साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि उसने यही बयान मजिस्ट्रेट साहब को दिया था कि वह मुझसे शादी करने को कहकर बहला–फुसलाकर भगा ले गया था, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या–11क/1 है, जिसपर उसका हस्ताक्षर है, जिसकी वह पहचान करती है, जिसपर प्रदर्श क–4 डाला गया।

19. पीडब्ल्यू–4 महिला चिकित्साधिकारी डॉक्टर स्मिता सिंह ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह दिनांक 30.01.2024 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दुद्धी में महिला चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात थी। उस दिन महिला कांस्टेबल आरती वर्मा पीड़िता प्रियंका पुत्री शिवनरायण निवासी झारोकला, थाना दुद्धी, जनपद सा. नभद्र को मेडिकल परीक्षण हेतु उसके पास लेकर आई थी। पीड़िता ने उसे बताया था कि उसे सरवर कुमार बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। वह पांच महीना पहले अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी और उसके साथ 20–25 दिन रही। पीड़िता ने अपनी बाहरी व आंतरिक परीक्षण कराने से इन्कार किया। उस समय यह बात अपनी मम्मी के सामने कहा और अपने हस्तलेख में लिखकर अपनी हस्ताक्षर बनाया। उसकी मां ने भी मेडिकल प्रपत्र पर अपना अंगूठा निशान लगाया था। महिला कांस्टेबल आरती वर्मा ने भी पीड़िता के कथन को अपने हस्तलेख में लिखकर अपना हस्ताक्षर बनाया था। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट शामिल पत्रावली कागज संख्या–3अ/18 है, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पहचान करती है, जिसपर प्रदर्श क–10 (सहवन अंकित प्रदर्श क–5) डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

20. पीडब्ल्यू–5 उपनिरीक्षक तेज बहादुर राय ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह दिनांक 29.01.2024 को थाना दुद्धी में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। थाना दुद्धी में दर्ज मु0अ0सं0 20/2024, धारा–363, 366 आईपीसी, बनाम सरवन कुमार के विरुद्ध विवेचना उसके द्वारा प्रारम्भ किया गया। उसी दिन उसने पर्चा नंबर 1 किता किया, जिसमें नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन, बयान लेख एफआ. ईआर हे0मु0 रामचरन यादव वादी मुकदमा शिवनरायण का बयान अंकित किया। तत्पश्चात् वादी की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल कर नक्शा नजरी बनाया, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या 3अ/10 है, जिसपर उसके हस्ताक्षर है, जिसकी वह पहचान करता है, जिसपर प्रदर्श क–5 डाला गया। उसके बाद अभियोग की पीड़िता प्रियंका के शैक्षिक प्रमाण पत्र कक्षा 8, जो प्राथमिक उच्च विद्यालय कन्हैया घुटरा द्वारा जारी किया गया है, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 31.03.2009 अंकित है, का अवलोकन कर पर्चे में उल्लेख किया है। दिनांक 30.01.2024 को पर्चा नंबर 2 किता किया, जिसमें रजखड़ तिराहे से अभियुक्त के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी प्रपत्र पर उल्लेख किया तथा पीड़िता के बरामदगी के बाबत फर्द तैयार कर उसके पिता को बुलाकर पीड़िता की पहचान कराया गया। फर्द बरामदगी शामिल पत्रावली कागज संख्या 3अ/13 है, जिसपर उसका हस्ताक्षर है, जिसकी वह पहचान करता है, जिसपर प्रदर्श क–6 डाला गया, जिसका उल्लेख जीडी पर किया है। तत्पश्चात् पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी, जो महिला कांस्टेबल द्वारा अंकित किया गया था, का अवलोकन किया तथा अभियुक्त का बयान अंकित किया। दिनांक 01.02.2024 को पर्चा नंबर 3 किता किया, जिसमें पीड़िता के मेडिकल प्रपत्र का अवलोकन कर पीड़िता के विद्यालय कन्हैया घुटरा झारो कला पहंचे और प्रधानाचार्य का बयान अंकित किया। दिनांक 02.02.2024 को पर्चा नंबर 4 किता किया, जिसमें पीड़िता के धारा 164 सीआरपीसी के बयान का अवलोकन किया। दिनांक 04.02.2024 को पर्चा नंबर 5 किता किया, जिसमें महिला आरक्षी आरती वर्मा, डॉक्टर स्मिता सिंह का बयान अंकित किया। अब तक की तमामी विवेचना, बयान वादिनी, बयानात पीड़िता, बयानात गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, पीड़िता के शैक्षिक प्रमाण पत्र

व मेडिकल प्रमाण पत्रों के आधार पर अभियुक्त सरवन कुमार पुत्र लालकेश्वर के विरुद्ध जुर्म धारा 363, 366 आईपीसी का अपराध बखूबी साबित पाए जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या 3अ/1 लगायत 3अ/4 है, जिसपर उसका हस्ताक्षर है, जिसकी वह पहचान करता है, जिसपर प्रदर्श क–7 डाला गया।

21. पीडब्ल्यू–6 प्रभारी प्रधानाचार्य गुफरान ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह आज न्यायालय से प्राप्त समन पर पीड़िता प्रियंका पुत्री शिवनरायण, निवासी झारो कला के जन्मतिथि के बाबत प्रवेश पंजिका रजिस्टर की मूल प्रति लेकर आया है। पंजिका रजि0 के पृष्ठ 13 के क्रमांक 147 पर कुमारी प्रियंका का मूल दर्ज जन्मतिथि का उल्लेख है। उसके द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या 3अ/17 है, जिसपर उसका हस्ताक्षर है, जिसकी वह पहचान करता है, जारी प्रमाण पत्र में पीड़िता की जन्मतिथि 31.03.2009 अंकित है, जिसे मूल प्रवेश पंजिका रजि0 के जन्मतिथि से मिलान करने पर सही है, जिसपर प्रदर्श क–8 डाला गया। पंजिका रजि0 की प्रमाणित प्रति आज न्यायालय में वह दाखिल कर रहा है, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या 15क/1 है, जिसपर उसका हस्ताक्षर है, जिसकी वह पहचान करता है, जिसपर प्रदर्श क–9 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

22. उपरोक्त वर्णित साक्ष्य के महत्व व उसकी प्रासंगिता को रेखांकित करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री/अपहृता को बहला फुसला कर उसके माता पिता के विधिक संरक्षकता से उनकी सम्मति के बगैर, अपहृता के साथ अयुक्त सम्भोग करने अथवा उसके साथ शादी करने के आशय से अपहृता का व्यपहरण किया गया। अपहृता के पिता वादी मुकदमा शिवनरायण द्वारा घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी। पुलिस द्वारा अपहृता को अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया था। प्रकरण में बाद विवेचना अभियुक्त सरवन कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है तथा अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के द्वारा अपने बयानों के माध्यम से तथा अभियोजन प्रपत्रों से अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया गया तथा घटना को साबित किया गया है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे सिद्ध हैं। अभियुक्त लगाये गये आरोप में दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

23. अभियोजन पक्ष के तर्कों का खण्डन करते हुए बचाव पक्ष की ओर एमिकस क्यूरी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है और न ही उसके द्वारा अपहृता को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाया गया और न ही उसके साथ कोई अपराध कारित किया गया। अपहृता घटना के समय बालिग रही और वह स्वेच्छया अभियुक्त के साथ गयी थी तथा अभियुक्त के साथ विवाह किया है। तथ्य के साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगणों के बयानों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं होते हैं। अतएव अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

24. उभय पक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन साक्ष्य की समीक्षा एवं उसका मूल्यांकन निर्णय के अग्रेतर अंशो में किया जायेगा।

25. मामले के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विनिश्चय बिन्दु बनाए जाते हैं–

1. क्या अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को दिनांक 23.01.2024 में समय 02 बजे रात्रि उसके घर से उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण किया गया ताकि उसके साथ अयुक्त संभोग किया जावे व विवाह के लिए उसे विवश किया जावे?

2. क्या अभियोजन के साक्षीगण ठोस एवं विश्वसनीय हैं?

3. क्या अभियोजन द्वारा अपने मामले को संदेह से परे सिद्ध किया गया है?

उपरोक्त विनिश्चय बिन्दु एक–दूसरे से संबंधित हैं और एक साथ निस्तारित किए जाने योग्य हैं।

26. उपरोक्त बिन्दुओं पर निष्कर्ष दिए जाने से पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय की निम्न् विधिक सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। जैसा कि विधि–व्यवस्था **राकेश व अन्य बनाम दिनांक 06.07.2021** में दृष्टिकोण दिया गया है कि *सूक्ष्म विरोधाभास अभियोजन के लिए घातक नहीं है।* इसी प्रकार विधि–व्यवस्था **अनवर अली व अन्य बनाम स्टेट सुप्रीम निर्णीत दिनांक 25.09.2020** में अवधारित किया गया है कि *अभियोजन पक्ष द्वारा अपने विश्वसनीय साक्ष्यों से अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोप सन्देह से परे सिद्ध किए जाने चाहिए।*

27. अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप को विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा अभियोजन कथानक को सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है।

–:निष्कर्ष:–

प्रथम सूचना रिपोर्ट:–

28. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी दाण्डिक मामले का मूलभूत ढांचा होता है जिसपर अभियोजन का सम्पूर्ण मामला निर्भर करता है। प्राथमिकी को त्वरित होना चाहिये एवं उसके पीछे तर्क यह है कि कोई भी रिपोर्ट त्वरित दर्ज करायी जायेगी तो उसमें मिश्रण व मिलावट की सम्भावना उतनी ही न्यूनतम हो जाती है।

उपरोक्त विधिक सिद्धांत के पृष्ठभूमि में देखना यह है कि वर्तमान मामले में प्राथमिकी कितनी त्वरित है एवं यदि विलंबित भी है तो क्या अभियोजन प्राथमिकी में विलंब का कारण स्पष्ट कर सका है अथवा नहीं?

29. अभियोजन के अनुसार आपराधिक घटना दिनांक 23.01.2024 में समय 02 बजे रात्रि, पहर प्रथम की है, जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 29.01.2024 को समय 07:30 बजे वादी मुकदमा की लिखित तहरीर दिनांकित 29.01.2024 के आधार पर दर्ज कराई गई है, जिसमें अंकित है कि पूर्व में भी अभियुक्त उनकी लड़की को भगाकर ले गया था और सुलह समझौता कर लिया था। पुनः सरवन कुमार उनकी पुत्री को भगाकर ले गया था, जिसकी वे काफी खोजबीन किए हैं, किन्तु अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। इस प्रकार काफी तलाश किए जाने के उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तहरीर में ही विलम्ब का कारण दर्शाया गया है। इसके साथ ही अभियोजन साक्षी संख्या 1 द्वारा विलंब का कारण स्पष्ट करते हुए कथन किया गया है कि उनके द्वारा अपनी पुत्री को काफी तलाश किया गया था और जब पुत्री के विषय में कोई जानकारी नहीं मिली, तब 5–6 दिन के बाद एक तहरीर लिखवाकर पढ़कर

हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दिया। इस प्रकार उनके द्वारा विलंब को स्पष्ट किया गया है। विधि–व्यवस्था **सतपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा (2016) 8 एससीसी 714** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह दृष्टिकोण दिया गया है कि– *"Courts can not ignore the fact that delay in lodging in F.I.R. in sexual offences may be due to several reasons, particularly the reluctance of the victim or her family members who approach the police, concerned for reputation in reporting the incident, fear of injury of the reputation of the victim and her family etc."* मामला ग्रामीण परिवेश का है। वादी मुकदमा की पुत्री से संबंधित प्रकरण है, तब स्त्री की सामाजिक स्थिति को देखते हुए मामले में जो विलंब है उसका कोई प्रभाव वाद पर नहीं पड़ता है। वैसे भी एकमात्र विलंब होने से अथवा न होने से अभियोजन कथनों को सिरे से नकारा अथवा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

<u>विश्लेषण अभियोजन साक्ष्यः–</u>

30. अभियोजन साक्षी संख्या–1 शिवनारायण, जो मामले के वादी मुकदमा हैं, ने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर प्रदर्श क–1 को सिद्ध किया है और स्पष्ट कथन किया है कि अभियुक्त श्रवण कुमार पहले भी उनकी लड़की को भगाकर ले गया था और गांव में पंचायत हुई थी, जहां उन लोगों के बीच में सुलह–समझौता हो गया था। प्रतिपरीक्षा में गवाह द्वारा यह स्वीकारा गया है कि तहरीर उन्होंने स्वयं नहीं लिखी, जिसने लिखी है, उसका वह नाम नहीं बता सकता। गवाह के अनुसार जब उनकी लड़की घर से भागी थी, पंचायत हुई थी। पंचायत से दो–तीन दिन बाद उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गवाह द्वारा इस कथन को नकारा गया है कि उनकी लड़की बिना बताए रिश्तेदारी में चली गई थी। इस प्रकार गवाह द्वारा अभियोजन कथन को सिद्ध किया गया है।

31. अभियोजन साक्षी संख्या–2 हेड कांस्टेबल रामचरन यादव हैं। वे घटना के समय थाना कोतवाली में हेड मुहर्रिर के पद पर तैनात थे। उनके अनुसार मुकदमा अपराध संख्या–20/2024, धारा–363, 366 भारतीय दण्ड संहिता अभियुक्त श्रवण कुमार के विरुद्ध कम्प्यूटर ऑपरेटर को बोलकर उनके द्वारा लिखी गई थी। गवाह द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2, नकल जीडी प्रदर्श क–3 को सिद्ध किया गया है। गवाह के अनुसार पहले जीडी कायमी किया गया था फिर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जीडी कायमी और प्रथम सूचना रिपोर्ट का समय लगभग एक ही है। वादी मुकदमा उनके पास तहरीर लिखकर लाया था। वादी के साथ अन्य तीन–चार लोग भी थे, जिनका नाम नहीं पता। प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी दर्ज करने के बाद वादी को दे दी गई थी। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 29.01.2024 समय 07:30 बजे की है तथा नकल जीडी प्रविष्टि संख्या–12 दिनांकित 29.01.2024 समय 07:30 की है। इस प्रकार दोनों के समय में कोई भी भिन्नता नहीं है और दिनांक 29.01.2024 में तहरीर दिया जाना दर्शाया गया है। तब प्रथम सूचना रिपोर्ट एण्टी टाइम नहीं है। इस प्रकार गवाह द्वारा अभियोजन कथनों को सिद्ध किया गया है।

32. अभियोजन साक्षी संख्या–3 पीड़िता हैं। उनके द्वारा मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथनों का समर्थन करते हुए सरवन, जोकि उनका पड़ोसी है, के द्वारा शादी करने को कहकर बहला–फुसलाकर भगाकर बिहार ले जाना बतलाया गया है और यह स्वीकारा

गया है कि रजखड़ तिराहे पर एक सप्ताह बाद पुलिस ने उन लोगों को एक साथ पकड़ लिया था। गवाह के अनुसार महिला पुलिस ने उसका बयान लिया था। उसका डॉक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल दुद्धी में हुआ था। गवाह के अनुसार उसकी जन्मतिथि 2009 है। पीड़िता द्वारा धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान, जोकि प्रदर्श क–4 है, पर अपने फोटो व हस्ताक्षर की पहचान की है। गवाह के अनुसार उसका बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष हुआ था और धारा–164 दं0प्र0सं0 का बयान उसने ही दिया था, जिसपर उसकी फोटो है। प्रतिपरीक्षा में गवाह द्वारा सरवन का अपना पड़ोसी होना स्वीकारा गया है। बयान में अंकित कथन कि ''वह उसे अच्छा लगता था'', यह बयान उसने दिया था। धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान में उन्होंने मजिस्ट्रेट को नहीं बताया था कि ''सरवन से कहा कि चलो भागकर शादी कर लेते हैं।'' बाद में प्रतिपरीक्षा में पीड़िता ने धारा–164 दं0प्र0सं0 से अनभिज्ञता दर्शायी है, परन्तु धारा–161 दं0प्र0सं0 के बयान से पीड़िता मुकरी नहीं है, न ही डॉक्टरी मुआयना किए जाने से उसने नकारा है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त के संबंध में कोई प्रश्न या सुझाव नहीं रखा गया। आगे गवाह द्वारा इस सुझाव को नकारा गया है कि उसके पिता जी ने सरवन के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया है। तब अभियोजन कथन सिद्ध हो जाते हैं।

33. अभियोजन साक्षी संख्या–4 स्मिता सिंह, महिला चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुद्धी, जनपद सोनभद्र हैं। उनके अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है। इनके द्वारा मुख्य परीक्षा में पीड़िता द्वारा सरवन कुमार द्वारा बहला–फुसलाकर अपने साथ ले जाने संबंधी कथन की पुष्टि की है। उक्त गवाह द्वारा पत्रावली में शामिल मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट कागज संख्या–3अ/18 प्रदर्श क–10 (सहवन अंकित प्रदर्श क–5) को सिद्ध किया गया है। साथ ही पीड़िता द्वारा भी डॉक्टरी परीक्षण होने से इन्कार नहीं किया गया है।

34. अभियोजन साक्षी संख्या–5 उपनिरीक्षक तेज बहादुर राय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। उनके द्वारा संपूर्ण विवेचना करते हुए नक्शा नजरी प्रदर्श क–5, फर्द बरामदगी प्रदर्श क–6, आरोप पत्र प्रदर्श क–7 की प्रामाणिकता को सिद्ध किया गया है। गवाह के अनुसार पीड़िता अभियुक्त से मोहब्बत करती थी। उसके घर का नक्शा नजरी उन्होंने बनाया है। तहरीर वादी के हस्तलेख में है। पीड़िता को सरवन कुमार भगाकर ले जा रहा था। पीड़िता का बयान थाने में लिखा गया था। इस प्रकार गवाह उपरोक्त द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को सिद्ध किया गया है।

35. अभियोजन साक्षी संख्या–6 प्रधानाचार्य उच्च प्राथमिक विद्यालय कन्हैया घुटरा, झारो कला, विकास खण्ड दुद्धी, जनपद सोनभद्र हैं। इनके द्वारा प्रवेश पंजिका रजिस्टर के क्रम संख्या–147, पृष्ठ संख्या–13 पर पीड़िता के नाम में अन्तर होने की पुष्टि की गई है और पीड़िता की जन्मतिथि दिनांक 31.03.2009 दर्ज होना बतलाया है तथा उसे प्रदर्श क–8 के रूप में सिद्ध किया है तथा पंजिका रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श क–9 भी सिद्ध की गई है। पीड़िता विद्यालय में कक्षा–6 में प्रवेश की थी। पीड़िता द्वारा विद्यालय से कक्षा–8 की परीक्षा वर्ष 2022–23 में दी गई थी। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा/अभियुक्त द्वारा इसके विपरीत ऐसा कोई भी प्रलेख बचाव में दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो कि पीड़िता की वास्तविक जन्मतिथि उपरोक्त

न हो। घटना दिनांक 23.01.2024 की बतलाई गई है। इस प्रकार घटना के समय पीड़िता लगभग 14 वर्ष, 09 माह, 22 दिन की थी और नाबालिग थी।

36. पीड़िता को पुलिस द्वारा अभियुक्त सरवन कुमार के साथ रजखड़ तिराहे से पकड़ा गया था। उसकी बरामदगी का दिनांक 30.01.2024 दर्शाया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–5 वाद विवेचक तेज बहादुर राय द्वारा फर्द बरामदगी का सिद्ध किया गया है। उनके अनुसार बरामदगी का उल्लेख जीडी में भी किया गया है। पीड़िता की अभियुक्त के साथ बरामदगी के संबंध में अभियुक्त द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस प्रकार मौके से अभियुक्त के साथ पीड़िता को बरामद किया गया है। तब अभियुक्त की दोषिता इससे भी स्पष्ट होती है।

बयान अंतर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिताः–

37. अभियुक्त द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन कथानक का झूठा व गलत होना बतलाया गया है तथा गलत विवेचना कर आरोप पत्र दाखिल किए जाने का कथन किया गया है और मुकदमा साजिशन चलना बतलाया है और पट्टीदारी का झगड़ा होने का कथन किया गया है तथा बचाव में कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है। इस संबंध में यह ध्यान दिए जाने योग्य है कि किसी भी प्रकार का झगड़ा विशेष रूप में बचाव पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो कि रंजिशन अभियुक्त को फंसाया गया हो। अभियुक्त का उपरोक्त बयान अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य के सापेक्ष पढ़ा जाएगा, जो अभियुक्त के विरुद्ध जाता है।

38. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के साक्षीगण के बयानों से अभियुक्त सरवन कुमार द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता से बहला–फुसला कर ले जाना व उससे शादी करने के इरादे से उसे अपने साथ रखना सिद्ध होता है। जहां तक बचाव पक्ष का अभियोजन साक्षीगण के बयानों में विरोधाभास का तर्क है तो सभी साक्षीगण ग्रामीण परिवेश के कम पढ़े–लिखे लोग हैं। पीड़िता सवयं एक कम पढ़ी लिखी–अवयस्क है। उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे तहरीर के अन्तर्वस्तु के अनुरूप ही बयान करें, वह नाबालिग है, नाबालिग की सहमति भी महत्वहीन है। उनके बयानों में कुछ विरोधाभास आना स्वाभाविक है, परन्तु अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

39. विधि व्यवस्था **{स्टेट आफ यू0पी0 बनाम छोटे लाल एआईआर 2011 एससी 697}** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–*"Rustic lady witness & illiterate witness: it is impossible for an illiterate villager or rustic lady to state with precision the chain of events as such witness do not have sense of accuracy of time etc. Expecting hyper technical calculation regarding dates and time of events from illiterate/ rustic/ villager witnesses is an insult to justice-oriented judicial system and detached from the realities of life. In the case of rustic lady eye witness, court should keep in mind her rural background and the scenario in which the incident had happened and should not appreciate her evidence from rational angle and discredit her otherwise truthful version on technical grounds."*

40. **रमेश बनाम स्टेट (2014) 9 एससीसी 392** में यह दृष्टिकोण दिया गया है कि–*"Last scene together, circumstantial evidence and unusual and suspicious conduct of the accused may lead to conviction."*

41. *महावीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा (2014) 6 एससीसी 716 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह दृष्टिकोण दिया गया है कि यदि प्रतिपरीक्षा के माध्यम से साक्षी से उन प्रश्नों को नहीं पूछा गया है, जिनका वह स्पष्टीकरण दे सकता था तो ऐसे तथ्यों का सत्य एवं विधिक रूप से स्वीकृत होना अवधारित किया जाएगा।*

इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्था प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतः लागू होती है और बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है।

42. कोई भी ऐसी परिस्थिति दर्शित नहीं होती है, जिससे यह सिद्ध हो कि अभियुक्त को किसी रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया हो। वैसे भी स्त्री की सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए कोई भी परिवार अपनी पुत्री की लज्जा एवं गरिमा को गिराने हेतु झूठा लांछन नहीं लगाएगा, जब तक इससे विपरीत सिद्ध न हो।

43. इस प्रकार उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने मे सफल रहा है कि अभियुक्त सरवन कुमार द्वारा धारा–363, 366 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है। अभियोजन साक्षीगण ठोस व विश्वसनीय हैं। अतः अभियुक्त सरवन कुमार धारा–363, 366 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है एवं अभियुक्त सरवन कुमार को सत्र परीक्षण संख्या–267/2024, मु0अ0सं0–20/2024, थाना दुद्धी, सोनभद्र, धारा–363, 366 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत **दोषसिद्ध** किया जाता है।

अभियुक्त न्यायालय में जेल से उपस्थित है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में रखा जावे। पत्रावली लंच बाद अभियुक्त के दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हो।
दिनांक–06.06.2026

(विपिन कुमार–III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
(एफ0टी0सी0)(सी0ए0डब्ल्यू0),
सोनभद्र
I.D. No.-U.P. 6486

<u>**दिनांक–06.06.2026:–**</u>
<u>**लंच बादः–**</u>

पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंच बाद पुनः पेश हुई। अभियुक्त जिला कारागार, सोनभद्र से तलब होकर न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है।

प्रस्तुत प्रकरण में दोषसिद्ध सरवन कुमार को धारा–363, 366 भारतीय दण्ड सं. हता के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया है।

सजा के बिन्दु पर दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता एमिकस क्यूरी तथा विद्वान लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त की यह पहली गलती है। अभियुक्त कम उम्र का गरीब परिवार का व्यक्ति है। अतः अभियुक्त को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जावे। वह दिनांक 30.01.2024 से जेल में निरुद्ध है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया कि दोषसिद्ध द्वारा अवयस्क लड़की के साथ अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड दिया जावे।

प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये दोषसिद्ध सरवन कुमार को धारा–363 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में चार वर्ष का साधारण कारावास व रू0–5,000/–(पांच हजार रूपये) अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में एक मास के अतिरिक्त कारावास एवं धारा–366 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में चार वर्ष का साधारण कारावास व रू0–5,000/–(पांच हजार रूपये) अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में दो मास के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाना न्यायसंगत है।

<u>–:आदेश:–</u>

दोषसिद्ध सरवन कुमार को धारा–363 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में चार वर्ष का साधारण कारावास व रू0–5,000/–(पांच हजार रूपये) अर्थदण्ड (अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में एक मास के अतिरिक्त कारावास) से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्ध सरवन कुमार को धारा–366 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में चार वर्ष का साधारण कारावास व रू0–5,000/–(पांच हजार रूपये) अर्थदण्ड (अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में दो मास के अतिरिक्त कारावास) से दण्डित किया जाता है।

दोनों सजायें साथ–साथ चलेंगी। दोषसिद्ध द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जेल में बितायी गयी निरुद्धता अवधि उपरोक्त कारावास के दण्ड में समायोजित की जाये।

दोषसिद्ध का दोषसिद्धि वारण्ट बनाकर उसे सजा भुगतने हेतु जिला कारागार, सोनभद्र प्रेषित किया जाये।

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक–06.06.2026

(विपिन कुमार–III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
(एफ0टी0सी0)(सी0ए0डब्ल्यू0),
सोनभद्र
I.D. No.-U.P. 6486

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–06.06.2026

(विपिन कुमार–III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
(एफ0टी0सी0)(सी0ए0डब्ल्यू0),
सोनभद्र
I.D. No.-U.P. 6486